उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रायपुर–थानों मार्ग, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज,
डाकघर–रायपुर, देहरादून–248008

वेबसाइट–**www.sssc.uk.gov.in** E- mail: chayanayog@gmail.com

विज्ञापन संख्या: 30/उ0अ0से0च0आ0/2021 दिनांक: 05 फरवरी 2021

चयन हेतु विज्ञापन

राज्यपाल सचिवालय के अन्तर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के रिक्त 01 पद, विभिन्न विभागों के अन्तर्गत लेखाकार के रिक्त 09 पदों, विभिन्न विभागों के अन्तर्गत रिक्त सहायक लेखाकार के 469 पदों, कैशियक कम सहायक लेखाकार के रिक्त 01 पद, विभिन्न विभागों के अन्तर्गत लेखा परीक्षक के 57 पदों तथा पॉवर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड के कार्यालय सहायक तृतीय (लेखा) के 04 पदों अर्थात कुल 541 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन।

नोटः रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	05.02.2021
ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि	10.02.2021
ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि	26.03.2021
परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	28.03.2021
लिखित परीक्षा का अनुमानित समय	जुलाई 2021

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राज्यपाल सचिवालय के अन्तर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के रिक्त 01 पद, विभिन्न विभागों के अन्तर्गत लेखाकार के रिक्त 09 पदों विभिन्न विभागों के अन्तर्गत रिक्त सहायक लेखाकार के 469 पदों, कैशियर कम सहायक लेखाकार के रिक्त 01 पद, विभिन्न विभागों के अन्तर्गत लेखा परीक्षक के 57 पदों तथा पॉवर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड के कार्यालय सहायक तृतीय (लेखा) के 04 पदों अर्थात कुल **541** रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आवेदन आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 24.03.2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आयोग द्वारा OTR (One Time Registration) को अनिवार्य कर दिया गया है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा OTR प्रोफाइल नही भरे गये हैं, उन्हें आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। OTR में भरी गई जानकारी या डेटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा, अतः आवेदन–पत्र भरने के पूर्व OTR को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन–पत्र भरने के पूर्व OTR की जानकारी को OTR के Edit विकल्प में जाकर संशोधित कर लें। हर प्रकार से त्रुटिरहित OTR होने पर ही आवेदन–पत्र भरना प्रारम्भ करें। आवेदन पत्र भर जाने व Submitt button पर Click करने के उपरांत इस आवेदन पत्र के लिए OTR में संशोधन संभव नही होगा। त्रुटिपूर्ण OTR तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्र के कारण अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। OTR भरने में सहायता के लिए **Toll free no. 9520991174, 6399990138/139/140/141** पर संपर्क कर सकते हैं।

उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की **Offline** अथवा **Online** परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त समय अनुमानित है एवं परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र में दिये गये मोबाइल नम्बर पर SMS तथा ई–मेल द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।

*** अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के सभी प्राविधान व शर्तें तथा अन्त में दिए गए निर्देशों को भलीभॉति अवश्य पढ़ लें।**

1. पदनाम– सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) कुल पद– 01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

क्र0 सं0	पद कोड	पदनाम/विभाग का नाम	श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
					WO (30%)	**DFF (02%)**	**Ex (05%)**	**Orphan (05%)**	**PH (04%)**	**Others**
1.	529/788/30/2021	सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) (राज्यपाल सचिवालय)	अ0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0	–	–	–	–	–		–
			सामान्य	01	–	–	–	–		01
			योग	**01**	–	–	–	–	–	**01**

(ii) वेतनमानः– वेतनमान– 44900–142400 (लेवल–7)

(iii) आयु सीमाः– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूपः– अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हताः– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0कॉम0 या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य कोई समकक्ष अर्हता। कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होनी चाहिए।

अधिमानः– लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

2. पदनाम– लेखाकार कुल पद– 08

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

क्र0 सं0	पद कोड	पदनाम / विभाग का नाम	श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
					WO (30%)	DFF (02%)	Ex (05%)	Orphan (05%)	PH (04%)	Others
1.	260/532/30/2021	लेखाकार (पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम)	अ0जा0	02	–	–	–	–		02
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	01	–	–	–	–	–	01
			आ0क0व0	–	–	–	–	–		–
			सामान्य	05	01	–	–	–		04
			योग	**08**	**01**	–	–	–	–	**07**

(ii) वेतनमानः– वेतनमान– 35400–112400 (लेवल–6)

(iii) आयु सीमाः– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूपः– अराजपत्रित / स्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हताः– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार के द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की वाणिज्य में स्नातक (एकाउन्टेंसी सहित) की उपाधि होगी।

<u>अधिमानः–</u> लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(vi) <u>लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–</u>

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

3. पदनाम– लेखाकार कुल पद– 01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

क्र0 सं0	पद कोड	पदनाम / विभाग का नाम	श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
					WO (30%)	DFF (02%)	Ex (05%)	Orphan (05%)	PH (04%)	Others
1.	260/629/30/2021	लेखाकार (महिला कल्याण)	अ0जा0	–	–	–		–		–
			अ0ज0जा0	–	–	–		–		–
			अ0पि0व0	–	–	–		–	–	–
			आ0क0व0	–	–	–		–		–
			सामान्य	01	–	–		–		01
			योग	**01**	–	–		–	–	**01**

(ii) वेतनमानः– वेतनमान– 35400–112400 (लेवल–6)

(iii) आयु सीमाः– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूपः– अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हताः– डी0टी0ई0 या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि और लेखा के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

अधिमानः– लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

4. पदनाम– सहायक लेखाकार कुल पद– 467

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

क्र. सं.	पद कोड	विभाग एवं पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
					WO (30%)	DFF (02%)	Ex (05%)	Orphan (05%)	PH (04%)	Others
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	493/454/30/2021	सहायक लेखाकार (समाज कल्याण विभाग)	अ0जा0	02	–	–	–	–		02
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	02	–	–	–	–	–	02
			आ0क0व0	01	–	–	–	–		01
			सामान्य	10	03	–	–	–		07
			योग	**15**	**03**	–	–	–	–	**12**
2.	493/154/30/2021	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी चम्पावत)	अ0जा0	01	–	–	–	–		01
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	01	–	–	–	–	–	01
			आ0क0व0	01	–	–	–	–		01
			सामान्य	02	01	–	–	–		01
			योग	**05**	**01**	–	–	–	–	**04**
3.	493/161/30/2021	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी टिहरी)	अ0जा0	02	01	–	–	–		01
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	02	01	–	–	–	–	01
			आ0क0व0	01	–	–	–	–		01
			सामान्य	04	02	–	–	–		02
			योग	**09**	**04**	–	–	–	–	**05**

4.	493/163/30/2021	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी उत्तरकाशी)	अ0जा0	02	—	—		—		02
			अ0ज0जा0	01	—	—	—	—		01
			अ0पि0व0	01	01	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	01	01	—	—	—		—
			सामान्य	—	—	—	—	—		—
			योग	**05**	**02**	**—**	**—**	**—**	**—**	**03**
5.	493/158/30/2021	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी गढवाल)	अ0जा0	02	—	—	—	—		02
			अ0ज0जा0	01	—	—	—	—		01
			अ0पि0व0	03	—	—	—	—	—	03
			आ0क0व0	03	—	—	—	—		03
			सामान्य	02	—	—	—	—		02
			योग	**11**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**11**
6.	493/162/30/2021	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर)	अ0जा0	01	—	—	—	—		01
			अ0ज0जा0	01	—	—	—	—		01
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—		
			आ0क0व0	02	—	—	—	—		02
			सामान्य	04	01	—	—	—		03
			योग	**08**	**01**	**—**	**—**	**—**	**—**	**07**
7.	493/160/30/2021	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग)	अ0जा0	01	—	—	—	—		01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	02	01	—	—	—	—	01
			आ0क0व0	01	—	—	—	—		01
			सामान्य	03	01	—	—	—		02
			योग	**07**	**02**	**—**	**—**	**—**	**—**	**05**
8.	493/159/30/2021	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी पिथौरागढ़)	अ0जा0	03	01	—	—	—		02
			अ0ज0जा0	01	—	—	—	—		01
			अ0पि0व0	02	01	—	—	—	—	01
			आ0क0व0	03	01	—	—	—		02
			सामान्य	05	02	—	—	—		03
			योग	**14**	**05**	**—**	**—**	**—**	**—**	**09**
9.	493/155/30/2021	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी देहरादून)	अ0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	02	—	—	—	—	—	02
			आ0क0व0	01	—	—	—	—		01
			सामान्य	—	—	—	—	—		—
			योग	**03**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**03**
10.	493/152/30/2021	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी बागेश्वर)	अ0जा0	01	—	—	—	—		01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	01	—	—	—	—	—	01
			आ0क0व0	01	—	—	—	—		01
			सामान्य	04	01	—	—	—		03
			योग	**07**	**01**	**—**	**—**	**—**	**—**	**06**

11.	493/153/30/2021	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी चमोली)	अ0जा0	02	—	—	—	—		02
			अ0ज0जा0	01	—	—	—	—		01
			अ0पि0व0	04	01	—	—	—	—	03
			आ0क0व0	03	—	—	—	—		03
			सामान्य	05	01	—	—	—		04
			योग	**15**	**02**	**—**	**—**	**—**	**—**	**13**
12.	493/157/30/2021	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी नैनीताल)	अ0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0ज0जा0	01	—	—	—	—		01
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—		—
			आ0क0व0	02	—	—	—	—		02
			सामान्य	03	—	—	—	—		03
			योग	**06**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**06**
13.	493/676/30/2021	सहायक लेखाकार (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)	अ0जा0	06	02	—	—	—		04
			अ0ज0जा0	01	—	—	—	—		01
			अ0पि0व0	04	01	—	—	—	01 (दृष्टिहीन या कम दृष्टि)	03
			आ0क0व0	03	01	—	—	—		02
			सामान्य	14	04	—	01	—		08
			योग	**28**	**08**	**—**	**01**	**—**	01	**18**
14.	493/664/30/2021	सहायक लेखाकार (परिवहन विभाग)	अ0जा0	02	—	—	—	—		02
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	03	—	—	—	—	—	03
			आ0क0व0	02	—	—	—	—		02
			सामान्य	10	03	—	—	—		07
			योग	**17**	**03**	**—**	**—**	**—**	**—**	**14**
15.	493/625/30/2021	सहायक लेखाकार (लोक निर्माण विभाग)	अ0जा0	02	—	—	—	—		02
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	01	—	—	—	—	—	01
			आ0क0व0	01	—	—	—	—		01
			सामान्य	05	01	—	—	—		04
			योग	**09**	**01**	**—**	**—**	**—**	**—**	**08**
16.	493/459/30/2021	सहायक लेखाकार शहरी विकास विभाग **(पालिका केन्द्रीयित सेवा)**	अ0जा0	06	02	—	—	—		04
			अ0ज0जा0	01	—	—	—			01
			अ0पि0व0	04	01	—	—		—	03
			आ0क0व0	02	—	—	—			02
			सामान्य	16	05	—	—			11
			योग	**29**	**08**	**—**	**—**		**—**	**21**
17.	493/458/30/2021	सहायक लेखाकार (शहरी विकास विभाग)	अ0जा0	—	—	—	—			—
			अ0ज0जा0	—	—	—	—			—
			अ0पि0व0	—	—	—	—		—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—			—
			सामान्य	03	—	—	—			03
			योग	**03**	**—**	**—**	**—**		**—**	**03**

18.	493/789/30/2021	सहायक लेखाकार (सहकारी समितियां)	अ0जा0	01	–	–	–	–	–	01
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–		–
			आ0क0व0	–	–	–	–	–		–
			सामान्य	03	01	–	–	–		02
			योग	**04**	**01**	–	–	–	–	**03**
19.	493/406/30/2021	सहायक लेखाकार (उद्योग विभाग)	अ0जा0	03	01	–	–	–	01 (श्रवणह्रास)	02
			अ0ज0जा0	01	–	–	–	–		01
			अ0पि0व0	01	–	–	–	–		01
			आ0क0व0	01	–	–	–	–		01
			सामान्य	07	03	–	01	–		02
			योग	**13**	**04**	–	**01**	–	**01**	**07**
20.	493/402/30/2021	सहायक लेखाकार (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	अ0जा0	01	–	–	–	–	–	01
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–		–
			आ0क0व0					–		
			सामान्य	01	–	–	–	–		01
			योग	**02**	–	–	–	–	–	**02**
21.	493/455/30/2021	सहायक लेखाकार (जनजाति कल्याण विभाग)	अ0जा0	–	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–		–
			आ0क0व0	–	–	–	–	–		–
			सामान्य	01	–	–	–	–		01
			योग	**01**	–	–	–	–	–	**01**
22.	493/801/30/2021	सहायक लेखाकार उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण	अ0जा0	01	–	–	–	–	–	01
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–		–
			आ0क0व0	–	–	–	–	–		–
			सामान्य	–	–	–	–	–		–
			योग	**01**	–	–	–	–	–	**01**
23.	493/821/30/2021	सहायक लेखाकार (उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)	अ0जा0	01	–	–	–	–	–	01
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–		–
			आ0क0व0	–	–	–	–	–		–
			सामान्य	02	–	–	–	–		02
			योग	**03**	–	–	–	–	–	**03**
24.	493/428/30/2021	सहायक लेखाकार (कारागार विभाग)	अ0जा0	–	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–		–
			आ0क0व0	–	–	–	–	–		–
			सामान्य	01	–	–	–	–		01
			योग	**01**	–	–	–	–	–	**01**

25.	493/646/30/2021	सहायक लेखाकार (पशुपालन विभाग)	अ0जा0	04	01	—	—	—		03
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		
			अ0पि0व0	03	01	—	—	—	—	02
			आ0क0व0	01	—	—	—	—		01
			सामान्य	10	03	—	01	—		06
			योग	**18**	**05**	**—**	**01**	**—**		**12**
26.	493/434/30/2021	सहायक लेखाकार (कृषि विभाग)	अ0जा0	13	04		01	—		08
			अ0ज0जा0	03	01	—	—	—		02
			अ0पि0व0	10	03	—	—	—	02 (OA, OL, PB, PD)	07
			आ0क0व0	01	—	—	—	—		01
			सामान्य	42	13	01	02	—		24
			योग	**69**	**21**	**01**	**03**	**—**	**02**	**42**
27.	493/754/30/2021	सहायक लेखाकार (कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवायें)	अ0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—		—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—		—
			सामान्य	02	—	—	—	—		02
			योग	**02**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**02**
28	493/432/30/2021	सहायक लेखाकार (कोषागार, पेंशन एवं हकदारी निदेशालय)	अ0जा0	02	—	—	—	—		02
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—		—
			सामान्य	03	01	—	—	—		02
			योग	**05**	**01**	**—**	**—**	**—**	**—**	**04**
29	493/619/30/2021	सहायक लेखाकार (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग)	अ0जा0	02	01	—	—	—		01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	02	01	—	—	—	—	01
			आ0क0व0	01	—	—	—	—		01
			सामान्य	06	02	—	01	—		03
			योग	**11**	**04**	**—**	**01**	**—**	**—**	**06**
30	493/424/30/2021	सहायक लेखाकार (डेरी विकास)	अ0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	01	01	—	—	—		—
			सामान्य	—	—	—	—	—		—
			योग	**01**	**01**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
31	493/449/30/2021	सहायक लेखाकार (पॉलीटेक्निकों हेतु) (प्राविधिक शिक्षा विभाग)	अ0जा0	04	01	—	—	—		03
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	03	01	—	—	—		02
			सामान्य	09	03	—	—	—		06
			योग	**16**	**05**	**—**	**—**	**—**	**—**	**11**

32	493/448/30/2021	सहायक लेखाकार (निदेशालय हेतु) (प्राविधिक शिक्षा विभाग)	अ0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—		—
			सामान्य	01	—	—	—	—		01
			योग	**01**	—	—	—	—		**01**
33	493/426/30/2021	सहायक लेखाकार (संस्कृति निदेशालय)	अ0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—		—
			सामान्य	02	—	—	—	—		02
			योग	**02**	—	—	—	—		**02**
34	493/808/30/2021	सहायक लेखाकार/कनिष्ठ सम्परीक्षक (जल संस्थान)	अ0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	01	—	—	—	—		01
			सामान्य	—	—	—	—	—		—
			योग	**01**	—	—	—	—		**01**
35	493/610/30/2021	सहायक लेखाकार (गन्ना एवं चीनी आयुक्त)	अ0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—		—
			सामान्य	02	01	—	—	—		01
			योग	**02**	**01**	—	—	—		**01**
36	493/673/30/2021	सहायक लेखाकार (सूचना एवं लोक सम्पर्क)	अ0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	02	—	—	—	—	—	02
			आ0क0व0	01	—	—	—	—		01
			सामान्य	09	03	—	—	—		06
			योग	**12**	**03**	—	—	—		**09**
37	493/820/30/2021	सहायक लेखाकार (पर्यटन विकास परिषद)	अ0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—		—
			सामान्य	02	—	—	—	—		02
			योग	**02**	—	—	—	—		**02**
38	493/442/30/2021	सहायक लेखाकार (एन0सी0सी0 निदेशालय)	अ0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—		—
			सामान्य	02	—	—	—	—		02
			योग	**02**	—	—	—	—		**02**

39	493/764/30/2021	सहायक लेखाकार (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग)	अ0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0	–	–	–	–	–		–
			सामान्य	01	–	–	–	–		01
			योग	**01**	–	–	–	–		**01**
40	493/735/30/2021	सहायक लेखाकार (आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण)	अ0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0	–	–	–	–	–		–
			सामान्य	02	–	–	–	–		02
			योग	**02**	–	–	–	–		**02**
41	493/414/30/2021	सहायक लेखाकार (जलागम प्रबन्ध निदेशालय)	अ0जा0	02	–	–	–	–		02
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	01	–	–	–	–	–	01
			आ0क0व0	01	–	–	–	–		01
			सामान्य	04	–	–	–	–		04
			योग	**08**	–	–	–	–		**08**
42	493/685/30/2021	सहायक लेखाकार (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय)	अ0जा0	04	01	–	–	–		03
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	03	–	–	–	–	–	03
			आ0क0व0	02	–	–	–	–		02
			सामान्य	12	03	–	–	–		09
			योग	**21**	**04**	–	–	–		**17**
43.	493/464/30/2021	सहायक लेखाकार (उच्च शिक्षा निदेशालय)	अ0जा0	01	–	–	–	–		01
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	01	–	–	–	–	–	01
			आ0क0व0	–	–	–	–	–		–
			सामान्य	06	01	–	–	–		05
			योग	**08**	**01**	–	–	–	–	**07**
44	493 /548/30/2021	सहायक लेखाकार (वन विकास निगम)	अ0जा0	05	02	–	–	–		03
			अ0ज0जा0	01	–	–	–	–	02 (श्रवण ह्रास)	01
			अ0पि0व0	12	04	–	01	–		07
			आ0क0व0	04	–	–	–	–		04
			सामान्य	37	12	01	02	–		20
			योग	**59**	**18**	**01**	**03**	–	**02**	**35**
45	493/798/30/2021	सहायक लेखाकार (अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण)	अ0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0	–	–	–	–	–		–
			सामान्य	01	–	–	–	–		01
			योग	**01**	–	–	–	–		**01**

46	493/784/30/2021	सहायक लेखाकार (आबकारी आयुक्त)	अ0जा0	01	—	—	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	01	—	—	—	—		01
			आ0क0व0	—	—	—	—	—		—
			सामान्य	02	01	—	—	—		01
			योग	**04**	**01**	—	—	—		**03**
47	493/504/30/2021	सहायक लेखाकार (पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—
			अ0ज0जा0	01	—	—	—	—		01
			अ0पि0व0	01	—	—	—	—		01
			आ0क0व0	—	—	—	—	—		
			सामान्य	—	—	—	—	—		—
			योग	**02**	—	—	—	—		**02**
48	493/452/30/2021	सहायक लेखाकार (राष्ट्रीय बचत निदेशालय)	अ0जा0	—	—	—	—	—		
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—		
			आ0क0व0	—	—	—	—	—		—
			सामान्य	01	—	—	—	—		01
			योग	**01**	—	—	—	—		**01**
49	493/046/30/2021	सहायक लेखाकार (निदेशक, विद्युत सुरक्षा, हल्द्वानी)	अ0जा0	01	—	—	—	—		01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—		
			आ0क0व0	—	—	—	—	—		—
			सामान्य	01	—	—	—	—		01
			योग	**02**	—	—	—	—		**02**
			कुल योग–	**469**	**111**	**02**	**10**	**—**	**06**	**340**

(ii) वेतनमानः– वेतनमान– 29200–92300 (लेवल–5)

(iii) आयु सीमाः– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूपः– अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हताः– अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा बी0बी0ए0 (Bachelor in Business Administration) अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन एकाउन्टेंसी तथा हिन्दी टंकण में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होनी चाहिए।

<u>अधिमानः–</u> लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(vi) <u>लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–</u>

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

5. पदनाम– कैशियर कम सहायक लेखाकार कुल पद– 01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

क्र0 सं0	पद कोड	पदनाम / विभाग का नाम	श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
					WO (30%)	DFF (02%)	Ex (05%)	Orphan (05%)	PH (04%)	Others
1.	493/045/30/2021	कैशियर कम सहायक लेखाकार (उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग)	अ0जा0	–	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–		–
			आ0क0व0	–	–	–	–	–		–
			सामान्य	01	–	–	–	–		01
			योग	**01**	–	–	–	–	–	**01**

(ii) वेतनमानः– वेतनमान– 25500–81100 (लेवल–4)

(iii) आयु सीमाः– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूपः– अराजपत्रित / स्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हताः–

1. B.Com or equivalent from recognized university/institute of repute.
2. Knowledge of accounts keeping petty cash book and Accounting.

<u>अधिमानः–</u> लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(vi) <u>लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–</u>

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

06. पदनाम– लेखा परीक्षक कुल पद– 53

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

क्र. सं.	पद कोड	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
					WO (30%)	DFF (02%)	Ex (05%)	Orphan (05%)	PH (04%)	Others
1	262/436/30/2021	लेखा परीक्षक (निदेशक, लेखा परीक्षा)	अ0जा0	10	03	–	–	–	01 (OA, OL, PB, PD)	07
			अ0ज0जा0	02	–	–	–	–		02
			अ0पि0व0	07	02	–	–	–		05
			आ0क0व0	06	01	–	–	–		05

			सामान्य	28	09	–	01	–		17
			योग	**53**	**15**	–	**01**	–	**01**	**36**

(ii) वेतनमानः– वेतनमान– 29200–92300 (लेवल–5)

(iii) आयु सीमाः– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूपः– अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) <u>शैक्षिक अर्हताः–</u>

अनिवार्य अर्हताः–

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि एवं कम्प्यूटर का CCC प्रमाण–पत्र अथवा ओ–लेवल प्रमाण–पत्र होना चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए।

<u>अधिमानः–</u> लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(vi) <u>लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः</u>–

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

07. पदनाम– लेखा परीक्षक **कुल पद– 01**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेतिज आरक्षण की स्थिति :–

क्र. सं.	पद कोड	पदनाम/विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
					WO (30%)	DFF (02%)	Ex (05%)	Orphan (05%)	PH (04%)	Others
1	262/664/30/2021	लेखा परीक्षक (परिवहन आयुक्त)	अ0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0	–	–	–	–	–		–
			सामान्य	01	–	–	–	–		01
			योग	**01**	–	–	–	–	–	**01**

(ii) वेतनमानः– वेतनमान– 29200–92300 (लेवल–5)

(iii) आयु सीमाः– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूपः– अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) <u>शैक्षिक अर्हताः–</u>

अनिवार्य अर्हताः–

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि और देवनागरी लिपि पढने एवं लिखिने का ज्ञान होना चाहिए।

<u>अधिमानः–</u> लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(vi) लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

08. पदनाम– लेखा परीक्षक **कुल पद– 01**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेतिज आरक्षण की स्थिति :–

क्र. सं.	पद कोड	पदनाम/विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
					WO (30%)	DFF (02%)	Ex (05%)	Orphan (05%)	PH (04%)	Others
1	262/821/30/2021	लेखा परीक्षक (पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)	अ0जा0	–	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–		–
			आ0क0व0	–	–	–	–	–		–
			सामान्य	01	–	–	–	–		01
			योग	**01**	–	–	–	–	–	**01**

(ii) वेतनमानः– वेतनमान– 29200–92300 (लेवल–5)

(iii) आयु सीमाः– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूपः– अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हताः–

अनिवार्य अर्हताः–

1– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी एक विषय के रूप में लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

2– किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी संगठन में लेखा कर्म के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अधिमानः– लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(vi) लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

09. पदनाम– लेखा परीक्षक **कुल पद– 02**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेतिज आरक्षण की स्थिति :–

क्र. सं.	पद कोड	पदनाम/विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
					WO (30%)	DFF (02%)	Ex (05%)	Orphan (05%)	PH (04%)	Others
	262/464/30/2021	लेखा परीक्षक (उच्च शिक्षा	अ0जा0	–	–	–	–		–	–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–			–

1		निदेशालय)	अ0पि0व0	–	–	–	–			–
			आ0क0व0	–	–	–	–			–
			सामान्य	02	–	–	–			02
			योग	**02**	–	–	–		–	**02**

(ii) वेतनमानः– वेतनमान– 29200–92300 (लेवल–5)

(iii) आयु सीमाः– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूपः– अराजपत्रित / स्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हताः–

अनिवार्य अर्हताः–

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में लेखाशास्त्र विषय सहित स्नातक की उपाधि अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेंसी की अर्हता के साथ कम्प्यूटर संचालन में "ओ" लेवल का प्रमाण–पत्र / डिप्लोमा, जिसमें कम्प्यूटर पर 4000 की–डिप्रेशन की गति होना अनिवार्य है।

अधिमानः– लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(vi) लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

10. पदनाम– कार्यालय सहायक तृतीय (लेखा) **कुल पद– 04**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेतिज आरक्षण की स्थिति :–

क्र. सं.	पद कोड	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
					WO (30%)	DFF (02%)	Ex (05%)	Orphan (05%)	PH (04%)	Others
1	239/045/30/2021	कार्यालय सहायक तृतीय (लेखा) (पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमि.)	अ0जा0	02	01	–	–	–	–	01
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–		–
			अ0पि0व0	02	–	–	–	–		02
			आ0क0व0	–	–	–	–	–		–
			सामान्य	–	–	–	–	–		–
			योग	**04**	**01**	–	–	–	–	**03**

(ii) वेतनमानः– वेतनमान– 25500–81100 (लेवल–4)

(iii) आयु सीमाः– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूपः– अराजपत्रित / स्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हताः–

अनिवार्य अर्हताः–

हिन्दी देवनागरी लिपि के वृहद ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कम्प्यूटर पर हिन्दी में न्यूनतम 6000 की–डिप्रेशन प्रति

घण्टा की गति तथा अंग्रेजी में न्यूनतम 7000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति अनिवार्य है। कम्प्यूटर कोर्स में न्यूनतम एक वर्ष का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।

<u>अधिमानः–</u> लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(vi) <u>लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–</u>

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

11. <u>लिखित प्रतियोगी परीक्षा</u> – (i) सामान्य व ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य हैं, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जायेंगे।

(ii)लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(iii)अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(iv) लिखित परीक्षा के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) ट्रिप्लीकेट में होंगे। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे।

(v) गलत उत्तरों के लिए दण्ड– वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) किया जायेगा।

(vi) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(vii) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(viii) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नही दिया जायेगा।

(IX) ओ0एम0आर0 शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/छेड़छाड़ आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा एक उत्तर विकल्प को खुरच कर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग करके मिटाकर अन्य उत्तर विकल्प का गोला भरा गया है, तो उन्हे उस उत्तर का अंक नहीं मिलेगा एवं ऋणात्मक अंक की भी कटौती की जायेगा।

(x) अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. शीट में गलत रोल नम्बर अथवा बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित न करता है तो उसकी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(x) अभ्यर्थियों को यह भी सूचित करना है कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन यांत्रिक है व OMR पद्वति पर है। ऐसे में किसी प्रश्न के एक में अधिक विकल्प पर चिह्न अंकित होना या छोटा बिन्दु आ

जाना या कोई और निशान हो जाने से उनका उत्तर गलत हो सकता है। अतः OMR sheet को अत्यंत सफाई से अंकित करें व OMR sheet को अत्यंत स्वच्छ रखें।

12 - आयु :–

आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2020 है।

(क)–परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

13. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

14. अनापत्ति प्रमाण–पत्रः–

जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15. राष्ट्रीयता :–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणीः– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

16. चरित्रः–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान यदि अभ्यर्थी का कार्य–व्यवहार उचित नही पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जायेगी।

17. वैवाहिक प्रास्थितिः–

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान हैं।

18. शारीरिक स्वस्थताः–

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वो वित्त हस्त–पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करे।

19. आरक्षणः–

1– **ऊर्ध्व आरक्षण**– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

2– **क्षैतिज आरक्षण**– उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों/शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

3– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है।

(i) **"भूतपूर्व सैनिक"** से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और जो–**(एक)** अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या **(दो)** चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या **(तीन)** जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या **(चार)** विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं–**(एक)** निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, **(दो)** सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और **(तीन)**शौर्य पुरस्कार पाने वाले।**(चार)**जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जायेगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण–पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोटः–भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ii) **"स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित"** से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के **(एक)** पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) **(दो)** पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) **(तीन)** पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।

1. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।
2. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों के लिए 05% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा
3. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।
4. मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप दिव्यांग श्रेणी के पदों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य श्रेणी में विभक्त नही किया गया है। इन्हें चयन के पश्चात संबंधित श्रेणी में समायोजित किया जायेगा।
5. क्षैतिज या उर्ध्व कोई भी आरक्षण हेतु राज्य के निवासी अभ्यर्थियों को आनलाईन आवेदन पत्र में संबंधित आरक्षण श्रेणी के साथ–साथ Domicile विकल्प का चयन करना होगा व संबंधित बटन को क्लिक करना होगा, अन्यथा वे आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर पायेंगे।

20. ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रियाः–

1. आवेदकों द्वारा UKSSSC की वेबसाइट **www.sssc.uk.gov.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नही किया जाएगा।

2. आवेदकों को पहले UKSSSC की वेबसाइट पर जाना होगा और "OTR" लिंक पर क्लिक कर अपना One Time Registration Porfile बनाना अनिवार्य होगा।

3. उम्मीदवारों को यूजर नेम बनाने के लिए वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज किये गये मोबाइल फोन नं. तथा ई-मेल आई0डी0 पर ही उन्हें आयोग से चयन प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर सूचना दी जायेगी। अतः इस दृष्टि से उन्हें भरें।

4. उम्मीदवार को OTR प्रोफाइल में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा और इसे सेव करना होगा।
5. उम्मीदवार को हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर की इमेज को स्कैन कर अपलोड करना होगा।

- फोटो का साइज (पासपोर्ट साइज) (अधिकतम 50 केबी)
- स्कैन की हुई हस्ताक्षर का साइज (अधिकतम 50 केबी)
- अंगूठे का निशान (अधिकतम 50 केबी)

6. यूजर नेम के साथ लॉगिन होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं। **"आवेदन के लिए यहॉ क्लिक करें"** लिंक सक्रिय विज्ञापनों के साथ उपलब्ध हैं।

7. **"आवेदन के लिए यहॉ क्लिक करें"** लिंक पर क्लिक करने पर OTR उम्मीदवार की योग्यता विज्ञापन में लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों से मिलान करता है। यदि उम्मीदवार पात्रता को पूरा नही करता है तो अयोग्यता का उचित संदेश सिस्टम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे में यदि अभ्यर्थी योग्यता धारित करते हैं तो उन्हें पहले OTR को संशोधित करना होगा।

8. केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार का आवेदन ही सिस्टम द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।

9. उम्मीदवार शुल्क जमा होने के बाद आवेदन Submit होने पर अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकते। अतः शुल्क जमा करने के पूर्व सावधानी पूर्वक आवेदन-पत्र की प्रत्येक प्रविष्टि की जांच कर लें।
10. उस उम्मीदवार के आवेदन पर विचार नही किया जायेगा जिसके आवेदन के शुल्क का भुगतान नही किया गया है।
11. UKSSSC द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जा सकता है:-

- **नेटबैंकिंग**
- **डेबिट कार्ड**
- **क्रेडिट कार्ड**
- **सीएससी केंद्र**

21 शुल्कः-

ऑनलाईन आवेदनपत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करेगा तत्पश्चात आवेदन-पत्र भरने के उपरान्त आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का

भुगतान ऑनलाइन (Net Banking/Debit/Credit Card)के माध्यम से जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जायेगा। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद/ऑनलाइन की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:–

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 300/– मात्र
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0)	रू0 150/– मात्र
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस0टी0)	रू0 150/– मात्र
04	उत्तराखण्ड दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू0 150/– मात्र

नोटः– निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जायेगा।

22. उपरोक्त निर्देशों के साथ–साथ आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तो को पढ़ें:–

(1) OTR तथा आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही OTR तथा आवेदन पत्र भरें, क्योंकि आनलाईन फार्म में बिना प्रमाण–पत्रों/संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नही है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है। साईबर कैफे से आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पूर्व अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक पढें। यदि आवेदन में कोई त्रुटि है तो OTR में Edit विकल्प लें। आवेदन पत्र भरने के बाद शुल्क जमा करने व Final Submit बटन क्लिक करने से पूर्व अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई प्रविष्टि को संशोधित कर सकते हैं। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए आवेदक जिम्मेदार है तथा आवेदन पत्र अंन्तिम रूप से भरे जाने के बाद इसमें संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा। OTR में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि, श्रेणी, आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर को यदि अभ्यर्थी द्वारा गलग भरा जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा "MY REQIEST" Button को Click कर संशोधन हेतु request भेजी जा सकती है, जिसे आयोग स्तर से Approve किया जायेगा व इस प्रक्रिया से अभ्यर्थी की details स्वंय update हो जायेगी।

(2) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन OTR तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः–79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस)19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का

लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन की अंतिम तिथि तक संगत प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें। आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी को तभी प्राप्त होगा जब वे Domicile विकल्प को भी क्लिक करेंगे।

(3) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को “ONLINE APPLICATION” प्रक्रिया में “Submit” बटन को “Click” करना अनिवार्य है। तत्पश्चात नियत अवधि तक परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करना है, तभी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

(4) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

(5) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा OTR तथा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण–पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम् 03 वर्षो के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

(6) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नही होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सत्यापन के चरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नही था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(7) OTR तथा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(9) अभ्यर्थी अपने OTR प्रोफाइल कभी भी भर सकते हैं। एक बार OTR प्रोफाइल भरने के बाद प्रत्येक आवेदन–पत्र में उनका यह डेटा स्वतः आ जायेगा तथा उन्हें बार–बार विस्तृत आवेदन–पत्र नही भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में इससे वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है व इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।

(10) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवानियमाावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(11) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जायेगा, नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में आयोग द्वारा कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(12) अभिलेख सत्यापन के समय आयोग अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई शैक्षिक अर्हताओं का मिलान अभ्यर्थी के पास धारित मूल शैक्षिक प्रमाण–पत्रों से करेगा। इन प्रमाण–पत्रों का विधिवत सत्यापन नियोक्ता द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान किया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के उपरांत ही किसी अभ्यर्थी के अभ्यर्थन का निर्णय होगा।

(13) आयोग द्वारा OTR की नई व्यवस्था में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई–मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नही है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें जो आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण–पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नही होगा।

(14) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(15) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी।

(16) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उसी दिन आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रसारित किये जाने के 07 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(17) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण के

प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।

(18) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धितः—परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(19) आयोग के अब तक के अनुभव से यह प्रकट हुआ है कि अभ्यर्थी कुछ परीक्षाओं में परीक्षा की शुचिता को बाधित कर व अनुचित साधनों का प्रयोग कर चयन का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे पांच मामलों में आयोग द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज की गई व जांच एजेंसियों द्वारा भी सावधानी से जांच कर ऐसे अभ्यर्थियों को चिह्नित किया जा रहा है। अतः ऐसे प्रयासों से अभ्यर्थी बचें व अपने व अपने परिवार को किसी भी कठिनाई में पड़ने से बचायें। आयोग द्वारा ऐसे मामलों को सर्वाधिक गम्भीरता व कठोरता से लिया जायेगा।

(20) परीक्षा भवन में आचरणः— कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, अव्यवस्था ना फैलाएं तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका (OMR) की मूल व द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जाएं। यदि अभ्यर्थी मूल या द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को न देकर स्वयं ले जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी का परिणाम रोक दिया जायेगा।

(21) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(22) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः— अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों के प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हे आयोग की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने व उनके विरूद्व अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायगी। परीक्षा के उपरांत चयन के अन्य चरणों में भी अभ्यर्थियों द्वारा की गई अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेंगी।

(23) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है। नियुक्ति का अंतिम निर्णय संबंधित नियोक्ता द्वारा लिया जायेगा। आयोग केवल चयन की संस्तुति करता है।

(24) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से प्राथमिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(25) लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंको से वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा।

(26) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **www.sssc.uk.gov.in** का समय–समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(27) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाय–

आ0क0व0–आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
Wo- महिला अभ्यर्थी
DFF- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित
Ex- भूतपूर्व सैनिक
PH- दिव्यांग
OA- एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया)
OL- एक पैर प्रभावित (दांया या बांया)
PB- आंशिक दृष्टिबाधित
PD- आंशिक बधिर
Orphan – उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे

(28) इस विज्ञप्ति द्वारा प्रारम्भ की गई चयन प्रक्रिया में पदों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में अभ्यर्थन से संबंधित अन्य शर्तें व पात्रतायें स्पष्ट हैं। इन्हें भलीभॉति देखकर आवेदन करें। आवेदन–पत्र भर जाने का अर्थ है कि अभ्यर्थी इन सभी बातों को स्वीकार करता है। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में इन शर्तों, पात्रताओं व पाठ्यक्रम आदि पर आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी तथा इसे चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला समझा जायेगा।

(29) आयोग द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ–साथ ऑनलाइन (Computer based test) परीक्षाओं की भी तैयारी की जा रही है। अतः यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रकिया से सम्पन्न कराई जा सकती है।

(संतोष बडोनी)
सचिव